(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3691–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–9–2016 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर, प्रकरण क्र. 03/2015–16/स्व0निगरानी

1–पूरनसिंह पुत्र खरगे
2–भगवानदास पुत्र खरगे
निवासी ग्राम रतवाई तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

.....

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0के0शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–9–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–19/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 30–12–2003 से प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन पूरन सिंह एवं गंगाराम के पक्ष में किया गया है, तत्पश्चात् आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु संहिता की धारा 165 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चाही गई, जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–12–2003 स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 20–9–2016 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–12–2003 निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा मृतक गंगाराम के वारिसानों की बिना जानकारी मंगाये और उनको अभिलेख पर लिये बिना आदेश पारित किया गया है, इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा बोलता हुआ सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि तहसीलदार द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र के उल्लघंन में प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया था, इसलिये उक्त व्यवस्थापन को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कलेक्टर द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हे ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा व्यवस्थापन पर रोक लगाये जाने के उपरांत भी रोक अवधि में नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है जो कि पूर्णतः नियम विरूद्ध कार्यवाही है । अतः कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार के प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30–12–2003 निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–9–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर